न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 70/2024 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2024/61**

1. मिठुराम पुत्र बलवीरसिंह जाति बावरी निवासी भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. भगवान पुत्र तुलछीसिंह जाति बावरी निवासी 17 एल के एस तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार भादाणी। अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर प्रसाद शर्मा एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
मदन सुरोलिया।

निर्णय

दिनांक 29.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 08.07.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 17 एल.के.एस का पत्थर नंबर 38/283 में 3.795 हैक्टयर भूमि करतारों पुत्री बालाराम पत्नी बलवीरसिंह बावरी निवासी भगवानगढ़ के नाम खातेदारी भूमि थी। करतारों ने अपीलांट को सामाजिक रीति–रिवाज के मुताबिक दिनांक 25.12.1965 को गोद लिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तथाकथित एक वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा बनाकर अपने नाम से इंतकाल दर्ज कराने के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ को प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 22.12.2022 के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलांट की प्रथत अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ उक्त के आदेश दिनांक 08.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 17 एल.के.एस का पत्थर नंबर 38/283 में 3.795 हैक्टयर भूमि करतारों पुत्री बालाराम पत्नी बलवीरसिंह बावरी निवासी भगवानगढ़ के नाम खातेदारी भूमि थी। करतारों ने अपीलांट को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सामाजिक रीति–रिवाज के मुताबिक दिनांक 25.12.1965 को गोद लिया था। इस प्रकार अपीलांट करतारों का वारिस हो गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष दिनांक 07.10.2022 को प्रस्तुत किया गया था। इस पर पत्रावली दिनांक 21.10.2022 को मुरतिब की गई थी तथा पत्रावली दर्ज करने के आदेश दिए गये थे तथा पटवारी की रिपोर्ट भी प्राप्त करने के आदेश दिये गये थे तथा आगामी तारीख 17.11.2022 निश्चित की गई थी। मगर पत्रावली की रिपोर्ट 07.10.2022 को हो गई जबकि उस दिन पटवारी की रिपोर्ट करने के आदेश ही नहीं थे इस तथ्य पर गौर किये बिना ही तहसीलदार ने आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार की पत्रावली में जरनेल सिह जो वसीयत में गवाह है उसका शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें हमारे हस्ताक्षर करवाये गये थे, अंकित किया गया है जबकि यह व्यक्ति पढ़ा–लिखा नहीं है अपने शपथ–पत्र पर निशान अंगूठा करके प्रस्तुत किया गया है। इससे भी वसीयत में गवाह जरनेल सिंह का बयान विश्वसनीय नहीं था इस पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। वसीयत के गवाह जगदीश सिंह पुत्र अमरसिंह है मगर उसका शपथ–पत्र जगजीत सिंह पुत्र अमरसिंह के नाम से दिया गया है बाद में अपनी गलती का अहसास होने के कारण दूसरा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें यह अंकित किया गया है कि जगदीश सिंह व जगजीत सिंह दोनों एक ही व्यक्ति है। यदि जगजीत सिंह को पूर्व में यह ज्ञान था तो अपने शपथ पत्र में जगजीत सिंह उर्फ जगदीश सिंह अंकित करना चाहिए था। यह शपथ पत्र भी विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता हैं। उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड है उनरजिस्टर्ड वसीयत पर राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स 132 के मुताबिक अनरजिस्टर्ड वसीयत पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। तथाकथित वसीयत 04.04.2006 की बताई गई है और करतारों की मृत्यु दिनांक 05.05.2006 को होनी बताई है और वर्ष 2022 में इंतकाल की कार्यवाही शुरू की गई थी। इतनी देरी का कोई विश्लेषण दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अदालत मातहत खारिज फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1991 पेज 348, आरआरटी 2023 पेज नंबर 196, आरआरडी 2017 पेज 525, आरआरडी 1998 पेज नंबर 553 एवं आरआरटी 2023 पेज नंबर 93 को अवलोकनीय बताया है।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि करतारों पुत्री बालाराम पत्नी बलवीर सिह जाति बावरी निवासी भगवानगढ़ ने अपने नाम की भूमि वाके चक 17 एलकेएस के प.न. 38/283 के किला नंबर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 3.795 हैक्टयर नहरी भूमि की वसीयत दिनांक 04.04.2006 को दो गवाहान जरनैल सिंह पुत्र अमरसिंह व जगजीत सिंह पुत्र अमर सिंह की गवाही में तहरीर करवा नोटेरी से तस्दीक करवायी गई थी। उत्तरवादी करतारों पुत्री बालाराम की सेवा चाकरी करता था। सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर उत्तरवादी के पक्ष में जैर प्रकरण रकबा की वसीयत तस्दीक करवाई गई। उक्त वसीयत के आधार पर मातहत अदालत पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 22.12.2022 उक्त प्रकरण में सार्वजनिक सूचना निकालते हुए गवाहों के बयानगत शामिल करते हुए आदेश पारित किया गया है। करतरों के कोई संतान नही थी। इसलिए करतारों ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वसीयत तस्दीक करवाई है। अपीलांट जो गुरदयाल सिंह का पुत्र है उसको

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है क्योकि अपील अपीलांट फर्जकारी करते हुए आधारकार्ड मे अपने पिता का नाम गलत दर्ज करवाया है। जबकि अपीलांट के पिता का सही नाम मिठुराम पुत्र गुरदयाल सिंह है न कि मिठुराम पुत्र बलवीर सिंह है। जो उसके राशन कार्ड, वोटर लिस्ट 2008, 2013, 2018, 2019 से पूर्णतया सावित है। अपीलांट के पिता का नाम गुरदयाल सिंह है। करतारों की मृत्यु होने के वाद दाह संस्कार व विधि विधान की प्रक्रिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ही की गई थी। अपीलांट ने बलवीर सिंह को झूठा पिता वनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की धारा 96 स्वीकार तो की है परन्तु अपीलाधीन निर्णय गुणावगुन के आधार पर किया गया है। अपीलांट सिविल कोर्ट से उसके पक्ष में किए गए गोदनामा को तय करवाए। अपीलांट के पिता का नाम गुरदयाल सिंह है अनरजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर वारिस नही वन सकते है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार उचित हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2022 अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। करतारों पत्नी बलवीर सिंह ने अपीलांट को जरिए गोदनामा दिनांक 25.12.1965 को गोद लिया और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए अपीलांट का धारा 96 के प्रार्थना—पत्र को स्वीकार किया हैं परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हितवद्ध पक्षकार मानने के पश्चात भी गोदनामें पर गुणावगुण किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ अपने निर्णय में अपील अपीलांट सारहीन होने के आधार पर निरस्त किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2024 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संवंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्वर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 29.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर